

55

नवरा ट्रेस पेश की है।

नाल जमाबंदी संवत् 2028 से 2031, 2071 से 74, मिलान क्षेत्रफल, हाल जमाबंदी खसरा निरदाखी प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पढ़ाई।

काई उपस्थित नहीं हुआ है।

1 का पुत्र उपस्थित हुआ किन्तु काई जबाब पेश नहीं किया गया है अप्रार्थी नम्बर 2 की ओर से प्रार्थी का प्रार्थना दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी नम्बर

ग्राम कमलापुरा को बापस राजकीय ग्रामि मौरूमफिकन नाला को दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि खसरा नम्बर 892/2758 रकबा 0.6 है 0 बाके

अवैध घोषित किये जाने निर्देश है।

रिकार्ड में दर्ज है। को बापिस सरकारी ग्रामि दर्ज करने एवं इसके बाद इसे परिवर्तन को आदेश दिनांक 28.2004 के द्वारा नदी, नाल, जलाशय आदि की ग्रामि जो दिनांक 15.8.1947 में राजस्व जनाहित याचिका संख्या 1536/2003 अर्जुल रहमान बनारस सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के उस्मानाक्तकरण अवैध एवं स्वयं ही प्रभाव डालने से निरस्त योग्य है। डीवीओसिबिल आदि की ग्रामि पर निजी खतियार अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह अधिकार अखिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील गालाब नदी नाले जलाशय 892/2758 बनाकर हाल जमाबंदी में अप्रार्थी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी हो गई है। तत्पश्चात ग्राम प्रमुख विभाग द्वारा गत खसरा नम्बर 547/3 का नवीन खसरा नम्बर के नाम जरिये आवंटन से दर्ज होकर नामान्तकरण 1169 दिनांक 29.10.1986 से खतियारी में दर्ज 2032 से 35 यह ग्रामि अप्रार्थी बाबू पुत्र निराल जाति ब्रह्मण निवासी कमालपुरा तहसील टोडामीम विस्वा सन 1947 एवं इसके पश्चात मौरूमफिकन नाला के रूप में दर्ज था परन्तु जमाबंदी संवत् में स्थित है जिसका प्रार्थी लेण्ड होल्डर है। यह कि गत आराजी खसरा नम्बर 547/3 रकबा 5 करया है। कि आराजी खसरा नम्बर 892/2758 रकबा 0.06 है 0, ग्राम कमलापुरा तहसील टोडामीम मौरुवासी तहसीलदार टोडामीम ने अप्रार्थी के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र रेकरन्स का प्रस्तुत कर अवगत

दिनांक 12.6.2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 में राजस्व अखिनियम 1956

- 1 बाबू पुत्र निराल जाति ब्रह्मण निवासी कमाल पुरा तहसील टोडामीम जिला करौली
- 2 डिप्लोम इंजीनियरिंग विकास बैंक लिमिटेड डिप्लोम - अप्रार्थीग्राम

बनाम

- 1 सरकार जरिये तहसीलदार टोडामीम जिला करौली
- 2 प्रार्थी

तारीख रज 19.02.2019

मुकदमा नम्बर 68/019


टीडामीम अधिकारी सूदेश कुमार आर.ए.एस

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर करौली

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि जमाबंदी सम्बत 2028 से 2031 की खाता सख्या 01 में आराजी खसरा नम्बर 547/3 रकवा 5 विस्वा भूमि गैरमुमकिन नाला के नाम से दर्ज रिकार्ड था जो कि इस आराजी में से मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2032 से 35 में परिवर्तन होकर बाबू पुत्र गिराज के नाम आराजी खसरा नम्बर 892/2758 रकवा 0.06 है० नामान्तकरण सख्या 1169 दिनांक 29.10.1986 से खातेदारी स्वीकृत हुयी थी इसके बाद नवीन खसरा नम्बर 892/2758 रकवा 0.06 है० किस्म बारानी 3 हाल जमाबंदी सम्बत 2071 से 74 में अप्रार्थीयान के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड होकर मौके पर काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील,तालब,नदी,नाले,जलाशय आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नहीं होते हैं। जो भी इन्द्राज हुये वो अवैध है। एवं स्वयं ही प्रभाव शून्य है। जो निरस्त योग्य है। डी०बी०सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 2.8.2004 के अपने विस्तृत निर्णय में उल्लेख किया है कि All land shown as drainage channels like nalla,rivers,tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land.Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal.The relevant act and rules must be ammended accordingly. माननीय उच्च न्यायालय के खण्ड पीठ द्वारा जनहित याचिका में पारित निर्णय से हम सहमत हैं।

अतः भूमिधारी तहसीलदार टोडाभीम का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 892/2758 रकवा 0.06 है० ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली कि भूमि को वापस मुताबिक जमाबंदी सम्बत 2028 से 2031 के अनुसार राजकीय गैरमुमकिन नाला दर्ज करने की स्वीकृति देने हेतु मूल पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.6.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।


अति० जिला कलक्टर
करौली